शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 50 वां वर्ष

ई-पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/shailsamachar

वर्ष 50 अंक-7 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 10-17 फरवरी 2025 मूल्य पांच रूपये

अवैध खनन प्रकरण में ई.डी. द्वारा तीसरे आरोपी के खिलाफ वारंट जारी

- ई.डी के वारंट से प्रदेश के राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म
- खनन में अवैधता के साथ संबंधित जमीन भी अवैध होने की संभावना
- नादौन में विलेज कामन लैण्ड की खरीद बेच आयी चर्चा में
- लैण्ड सीलिंग लागू होने के बाद राजा नादौन के पास बची ही केवल 316 कनाल जमीन थी
- 316 कनाल के मालिक के नाम पर हजारों कनाल कैसे बिक गयी उठा सवाल
- एचआरटीसी की ई-वर्कशॉप के लिए भी ऐसी ही जमीन खरीदी गयी है

शिमला/शैल। अवैध खनन और मनी लॉडरिंग के आरोपों पर नादौन, हमीरपुर तथा अधवाणी में ई.डी. और आयकर की छापेमारी में चार लोगों के खिलाफ मामला बनाया गया था। इन चार लोगों में से दो ज्ञान चन्द और संजय की गिरफ्तारी हो चुकी है और उनके खिलाफ एक चालान भी दायर हो चुका है। इन लोगों ने हिमाचल उच्च न्यायालय से जमानत की गुहार भी लगायी थी जो अस्वीकार हो चुकी है। परन्तु इस मामले के दो अन्य कथित अभियुक्त धर्मेंद्र और संजय शर्मा ई.डी. के हाथ नहीं लगे थे। अब ज्ञान चन्द का ई.डी. ने फिर रिमांड हासिल कर लिया है। इस रिमांड के साथ ही धर्मेंद्र के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने की चर्चा है। ज्ञानचन्द के रिमांड और धर्मेंद्र के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने से यह मामला फिर प्रदेश के राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारो में चर्चा का विषय बन गया है। क्योंकि इस वारंट जारी होने से पहले कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश के प्रभारी को अचानक बदल दिया है। इस बदलाव के बाद यह माना जा रहा है कि प्रदेश में होने वाली राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों की सही जानकारी समय-समय पर हाईकमान तक पहुंच जायेगी।

इस प्रकरण में मनी लॉडरिंग होने का आरोप तब ज्यादा गंभीर हो गया है जब इन्ही कथित अभियुक्तों द्वारा सहारनपुर में एक स्टोन क्रेशर खरीदे जाने और इस खरीद में 1.6 करोड़ का नकद भुगतान होने तथा इस भुगतान के तार नादौन के क्रेशर से जुड़े होने का आरोप लगा है। यह कैश भुगतान कहां से आया और यह पैसा किसका है यह जांच का मुख्य बिंदु बन गया है। लेकिन इस कैश भुगतान के अतिरिक्त नादौन में हुये पूरे खनन पर ही अवैधता का आरोप है। यह अवैधता कैसी है? क्या यह खानन बिना उचित अनुमतियों के किया गया? क्या जिस क्रेशर से यह खनन हुआ है वह ही अवैध रूप से ऑपरेट हुआ है? क्रेशर की अवैधता पर उस समय से सवाल उठने शुरू हो गये थे जब अदालत के आदेशों से इसे हटाया गया था। अवैधता के यह आरोप जांच में कितने प्रमाणित होते हैं इन सवालों से बड़ा सवाल यह हो गया है कि जिन जगहों पर यह खनन हुआ है उनका मालिक कौन है?

इस खनन में प्रयुक्त हुई जमीने संबंधित मालिकों द्वारा किसी समय राजा नादौन से खरीदी गयी कही जा रही है। यह खरीद ही सबसे बड़ी अवैधता है। क्योंकि राजा नादौन के पास लैण्ड सीलिंग एक्ट के बाद केवल 316 कनाल जमीन बची थी और एक लाख कनाल से अधिक जमीन सरकार को चली गयी थी। स्मरणीय है कि राजा नादौन को 1897 में अंग्रेज हकूमत से 1,59,986 कनाल की जागीर मिली थी जो कि रियासत के 329 गांवों में फैली हुई थी और अलग-अलग किस्म की जमीन थी। लेकिन इस जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में यह दर्ज था कि इसके इस्तेमाल का हक स्थानीय लोगों को हासिल रहेगा। इस जमीन में से 1,01,391 कनाल जमीन की किस्म बंजर कदीम थी और यह बंजर कदीम शामलात देह के तहत विलेज कॉमन लैण्ड घोषित हो गयी। 1974 में लैण्ड सेलिंग एक्ट आने पर यह जमीन हिमाचल सरकार की हो गयी। इस जमीन पर आज की राजस्व इन्दराज में ताबे हकूक बर्तन बर्तनदारान दर्ज है। इस इन्दराज से स्पष्ट हो जाता है कि ऐसी जमीने विलेज कॉमन लैण्ड है जिनकी खरीद बेच नहीं हो सकती। 2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी जमीनों की सुरक्षा के लिये देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को कड़े निर्देश देते हुये इस पर रिपोर्ट तलब कर रखी है। लेकिन नादौन में 2011 के बाद हजारों कनाल ऐसी जमीन की खरीद बेच हुई है। सबसे हैरानी वाला तथ्य यह है कि इन जमीनों को बेचने वाला व्यक्ति राजा नादौन है और उसने अपने पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से यह जमीने बेची हैं। जबकि राजा नादौन के अपने पास लैण्ड सीलिंग एक्ट 1971 से लागू होने के बाद बची ही केवल 316 कनाल जमीन थी। ऐसे में यह बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिस व्यक्ति के पास बची ही 316 कनाल थी उसके नाम से हजारों कनाल जमीन बिक कैसे गयी? स्पष्ट है की अदालत के फैसलों के बावजूद लैण्ड सीलिंग नादौन रियासत में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं हुआ। ऐसी जमीनों के खरीददार कई प्रभावशाली लोग हैं। सबसे हैरान करने वाला तथ्य तो यह है कि सुक्खू सरकार ने नादौन में एचआरटीसी की ई-वर्कशॉप बनाने के लिये जो 70 कनाल जमीन 6 करोड़ 72 लाख रुपए में तीन लोगों से खरीदी है उन तीन लोगों ने भी यह जमीन राजा नादौन से 2015 में 2,40,000 में खरीदी थी। सरकार यह जमीन खरीद रही थी तो स्वभाविक है कि राजस्व विभाग से लेकर मुख्य सचिव और मुख्य मंत्री को भी इसकी जानकारी रही होगी। तब भी लैण्ड सीलिंग एक्ट और सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों की जानकारी न हो पाना या इस सब को नजरअन्दाज कर दिया जाना अपने में बहुत कुछ कहा जाता है।

इस परिदृश्य में लगता है कि जिन जमीनों पर अवैध खनन होने के आरोप ई.डी. ने लगाये हैं उनके मालिक भी वह संबंधित लोग न निकले। क्योंकि वहां भी गैर मुमकिन दरिया और ताबे हकूक बर्तन बर्तनदारान का इन्दराज राजस्व में है। ऐसे में अवैध खनन के साथ जमीन की अवैधता भी साथ जुड़ जाने से पूरे मामले की गंभीरता और भी बढ़ जाती है। नादौन मुख्यमंत्री का चुनाव क्षेत्र है और ई.डी. द्वारा पकड़े गये लोगों की निकटता मुख्यमंत्री से चर्चा में आ चुकी है। मुख्यमंत्री इस निकटता पर स्वयं धर्मशाला में हुये शीत सत्र में ब्यान दे चुके हैं। इसलिये इस मामले पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं।

राज्यपाल ने पुलिस, होमगार्ड और सिविल डिफेंस के 76 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन में आयोजित 'अलंकरण समारोह' में पुलिस, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा और जीवन रक्षक पदकों के 76 विजेताओं को सम्मानित किया।

पदक विजेताओं में होमगार्ड और सिविल डिफेंस की कमांडेंट जनरल सतवंत अटवाल त्रिवेदी और सीबीआई नई दिल्ली के अतिरिक्त निदेशक एन. वेनुगोपाल को विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रेजिडेंटस पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया। यह समारोह पांच वर्षो के बाद आयोजित किया गया। इससे पहले, वर्ष 2020 में इस समारोह का आयोजन किया गया था।

राज्यपाल ने विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और सराहनीय सेवा के लिए सम्मानित व्यक्तियों को बधाई देते हुए कहा कि इनकी उत्कृष्ट सेवाएं समाज के लिए उदाहरण हैं और अन्यों को भी समाज के प्रति कार्य करने की प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा कि राज्य के अन्दर शांति बनाने का जिम्मा पुलिस का है और यह जिम्मेदारी पुलिस बेहतर तरीके से निभा रही है।

शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि हिमाचल में नशे के खिलाफ पुलिस के अधिकारी व जवान मजबूती से काम कर रहे हैं। नशे के खिलाफ अभियान के लिए कई पुलिस कर्मियों को पुरस्कार भी दिया गया। उन्होंने विश्वास जताया कि उनका यह सहयोग इस बुराई को खत्म करने में अन्यों को भी प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में पुलिस और होमगार्ड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यहां की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद कानून और व्यवस्था बनाए रखने में इन जवानों का योगदान सराहनीय रहता है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबन्धन, अपराध रोकथाम, यातायात नियंत्रण और समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी पुलिस और होमगार्ड के जवान उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं।

शुक्ला ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि स्मार्ट पुलिसिंग, डिजिटल निगरानी, आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण और आधुनिक सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता जैसी योजनाएं पुलिस और होमगार्ड की क्षमता को बढ़ा रही है।

पदमश्री विद्यानन्द सरेक और नेक राम भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, अतिरिक्त मुख्य सचिव(होम) ओंकार चंद शर्मा, पुलिस महानिदेशक डॉ.अतुल वर्मा, नगर निगम शिमला के महापौर सुरेन्द्र चौहान, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, राज्यपाल के सचिव चन्द्र प्रकाश वर्मा और पुलिस, होमगार्ड तथा सिविल डिफेंस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी व अन्य गणमान्य भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्यपाल ने 2025–क्रिएटर्ज एंड बिजनेस एक्सिलेंस अवार्ड प्रदान किए

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने 2025-क्रिएटर्ज एंड बिजनेस एक्सिलेंस अवार्डस की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम का आयोजन केज़ ब्रेन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया, जिसमें व्यवसाय व रचनात्मक क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया।

राज्यपाल ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए केज़ ब्रेन प्राइवेट लिमिटेड को बधाई देते हुए कहा कि आज का युग नवाचार और रचनात्मकता पर आधारित है। उन्होंने भारत की आर्थिक प्रगति में व्यवसायों और क्रिएटर्ज की महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि जहां एक ओर हमारे देश के युवा उद्यमी स्टार्ट-अप के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान दे रहे हैं, वहीं हमारे क्रिएटर्ज भारतीय कला, संस्कृति और आधुनिक तकनीक को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत कर देश को गौरवान्वित कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन, जैविक खेती, हस्तशिल्प और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में तेजी से उभर रहा है। राज्य के युवा उद्यमी और कलाकार अपनी अनूठी पहचान बना रहे हैं, जो न केवल प्रदेश बल्कि देश के लिए भी गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार केवल सम्मान नहीं, बल्कि उन संघर्षो और चुनौतियों का प्रमाण है, जिसका सामना कर यह लोग अपनी सफलता की कहानी लिख रहे हैं।

राज्यपाल ने कहा कि एक व्यवसाय को शुरू कर, उसे मजबूत बनाना और प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए उसे आगे बढ़ाना आसान कार्य नहीं है। किसी भी क्रिएटर के लिए अपनी कला और प्रतिभा को सही मंच तक पहुंचाने और नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है।

शुक्ल ने कहा कि भारत अब स्टार्ट-अप और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का वैश्विक केन्द्र बन रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं जैसे स्टार्ट-अप इंडिया, मेक इन इंडिया, मुद्रा योजना, स्टैंड-अप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं पर प्रकाश डाला। इन योजनाओं के माध्यम से न केवल उद्यमियों को पूंजी, बाजार और तकनीक तक पहुंच सुनिश्चित हो रही है बल्कि यह भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी योगदान दे रही हैं। डिजिटल इंडिया पहल के तहत स्टार्ट-अप और छोटे व्यवसायों को ऑनलाइन प्लैटफॉर्म और ई-कॉमर्स से जोड़ा जा रहा है, जिससे उनकी विकास संभावनाएं बढ़ रही हैं।

लंडन स्किल्ज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व निदेशक प्रो. पारिन सोमानी, इंडो-केनेडा चेम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष नरेश गुप्ता, केयर टेकर्ज एक्सटिरियर एंड इंटिरियर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मुस्तफा यूसुफ अली गोम, केज़ ब्रेन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक विश्वानन्द श्रीवास्तव भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ के कारण हुई भगदड़ में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। अपने शोक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि भगदड़ में लोगों की मृत्यु की घटना दुखद है।

उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की और ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करने तथा शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कीं हैं।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

सरकार के खिलाफ आधारहीन ब्यानबाजी कर रहे नेता प्रतिपक्ष:विक्रमादित्य सिंह

राज्य सरकार ने दो वर्ष में 42 हजार से अधिक युवाओं को नौकरियों के अवसर प्रदान किए

शिमला/शैल। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार हिमाचली युवाओं को रोज़गार और स्वरोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हालांकि सरकारी क्षेत्र में रोज़गार प्रदान करने की एक सीमा है लेकिन सरकार शिक्षित युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा रोज़गार के अवसर दिलाने के लिए ठोस कदम उठा रही है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जल विद्युत परियोजनाओं, पर्यटन, पशुपालन, प्राकृतिक खेती, कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के माध्यम से रोज़गार और स्वरोज़गार के अवसर पैदा करने की दिशा में कदम उठा रही है। राज्य सरकार ने अपने दो वर्ष के कार्यकाल में 42 हजार से अधिक युवाओं को नौकरियों के अवसर प्रदान किए हैं, जबकि पूर्व भाजपा सरकार अपने पांच वर्ष के कार्यकाल में मात्र 20 हज़ार नौकरियां ही दे पायी।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने 20 हजार 254 पदों के सृजन और उन्हें भरने की मंज़ूरी प्रदान की है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में अब तक 3,202 पद भरे जा चुके हैं और इस वर्ष लगभग 8 हजार पद और भरे जाएंगे। इनमें 2095 टीजीटी, शास्त्री और जे.बी.टी के पद शामिल हैं। इसके अलावा, 245 पद स्पेशल एजुकेटर और 6297 पद एन.टी.टी शिक्षकों के शामिल हैं। उच्च शिक्षा विभाग में भी 1097 पद भरे गए हैं और 1,337 कर्मचारियों को नियमित किया गया है। 769 कम्प्यूटर टीचर्ज के पद और एसएमसी शिक्षकों के पदों को एलडीआर के माध्यम से भरा जा रहा है।

उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 1,088 पद भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 2,061 वन मित्रों की भर्ती के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। जल शक्ति विभाग में 3 हजार पद भरे गए हैं। मेडिकल एजुकेशन विभाग में 909 भर्तियां की गई हैं, जबकि 270 पदों को भरने का काम चल रहा है। इसके अलावा 530 पद आउटसोर्स आधार पर भरे गए हैं तथा 942 अन्य पद आउटसोर्स पर भरने की प्रक्रिया जारी है। इसी प्रकार, महिला एवं बाल विकास विभाग में 779, राज्य बिजली बोर्ड में 692, पशुपालन विभाग में 248, तकनीकी शिक्षा विभाग में 173, युवा सेवा एवं खेल विभाग में 172 पद भरे गए हैं।

उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में जो भर्तियां पिछली सरकार के घोटालों के कारण लटकी पड़ी थीं, उनमें जांच करके 2273 पदों को भरा जा चुका है। इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के 25 हजार नए पद भरने की प्रक्रिया भी जल्दी आरम्भ की जाएगी जिससे सभी प्रकार की योग्यता वाले बेरोजगार युवाओं को रोज़गार प्राप्त करने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में भी 25 हजार 516 भर्तियां की गई हैं। प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है।

पहली बार श्रम रोजगार विभाग को विदेश में भी युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तलाशने का जिम्मा दिया गया है।

प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई ऊंचाईयों पर ले जाने के लिए 443 से अधिक औद्योगिक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है जिनसे करोड़ों का पूंजी निवेश और हजारों रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि युवाओं को रोज़गार के अवसर जुटाने के लिए प्रदेश सरकार ने 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोज़गार स्टार्ट-अप योजना शुरू की है जिससे ई-टैक्सी खरीदने के लिए 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। बागवानों की आय बढ़ाने के लिए उनकी मांग पर बागवानी उत्पादों की पैकिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन की सुविधा प्रदान की गई है जिससे इस साल उन्हें सेब के अच्छे दाम मिल पाए हैं। मंडी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत सेब, आम, किन्नू, माल्टा, संतरा, गलगल और नींबू के समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। पिछली सरकार के लम्बित 90 करोड़ सहित सेब उत्पादकों की सभी देनदारियों के भुगतान के लिए 153 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के अन्य नेता लोगों को भ्रमित करने के लिए राज्य सरकार के खिलाफ आधारहीन ब्यानबाजी कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता हिमाचल के हितों की पैरवी करने के बजाय दिल्ली जाकर राज्य सरकार को मिल रहे सहयोग को बंद करवाने का कार्य कर रहे हैं। भाजपा नेता केवल राजनीतिक लाभ के लिए वर्तमान प्रदेश सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं लेकिन उन्हें यह बात समझनी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के पास अधिक संसाधन नहीं है, इसलिए केंद्र का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बजट में जम्मू-कश्मीर के लिए 25 हजार करोड़ रुपये का विशेष पैकेज दिया गया है लेकिन हिमाचल प्रदेश में आई भीषण प्राकृतिक आपदा की एवज में अभी तक एक पैसा भी नहीं मिला है।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण का खाका तैयार किया जा चुका है और केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान की है कि इस परियोजना के पहले चरण की कच्ची सड़कों को पक्का किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि ढली से रामपुर बुशहर तक सड़क मार्ग को फोर लेन बनाने के लिए केंद्र सरकार से मामला उठाया जाएगा और इस कार्य में अधिक से अधिक सुरंगों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि पर्यावरण और वन सम्पदा को कम से कम नुकसान पहुंचे।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से 28 मार्च, 2025 तक आयोजित करने का निर्णय

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यपाल को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से 28 मार्च, 2025 तक आयोजित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में सरकारी महिला कर्मचारियों को प्रसव के दौरान बच्चे की मृत्यु पर या नवजात शिशुओं की मौत होने पर 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने 'टेटिड' पदों को छोड़कर छः पोस्ट कोड के 699 पदों के लम्बित परिणामों को घोषित करने की स्वीकृति प्रदान की। इनमें मार्केट सुपरवाइजर (पोस्ट कोड-977), फायरमैन (पोस्ट कोड-916), ड्राइंग मास्टर (पोस्ट कोड-980), लिपिक (हिमाचल प्रदेश सचिवालय पोस्ट कोड-962), लाइनमैन (पोस्ट कोड-971) और स्टेनो टाइपिस्ट (पोस्ट कोड-928) शामिल हैं।

मंत्रिमंडल ने संजौली पुलिस चौकी को पुलिस स्टेशन में स्तरोन्नत करने सहित विभिन्न श्रेणियों के 20 पद सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में जिला शिमला के नेरवा में अग्निशमन चौकी खोलने तथा इसमें विभिन्न श्रेणियों के 17 पद सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने राजस्व विभाग में तहसीलदार के 09 पद सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में जिला शिमला में कोटखाई के पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हाल ही में खोले गये बागी पुलिस चौकी में विभिन्न श्रेणियों के छः पद सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में योजना विभाग में विभिन्न श्रेणियों के तीन पद भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में कोषागार अधिकारियों के तीन पद भरने का निर्णय लिया।

बैठक में सोलन जिले के बशील में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने

तथा विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों को सृजित कर भरने को मंजूरी दी गई।

बैठक में कांगड़ा जिले के कांगड़ा में जल शक्ति विभाग का नया मंडल खोलने तथा आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

बैठक में बिलासपुर जिले के श्री नयना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के जगातखाना में जल शक्ति विभाग का नया मंडल खोलने तथा इसके संचालन के लिए आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया।

बैठक में सोलन जिले के लोहारघाट में नई उप-तहसील खोलने तथा आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को मंजूरी दी गई।

बैठक में हिमाचल प्रदेश राजकीय दंत महाविद्यालय शिमला के विभिन्न विभागों में सहायक प्रोफेसर के 16 स्वीकृत पदों को एसोसिएट प्रोफेसर में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी गई।

इसके अतिरिक्त, बैठक में कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवां में राजीव गांधी राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में विभिन्न श्रेणियों के आठ पदों को सृजित करने और भरने के साथ बी. टेक (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस) और बी.टेक (कंप्यूटर साईस) पाठ्यक्रम शुरू करने को भी मंजूरी दी गई।

बैठक में शिमला जिले के प्रगतिनगर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में बी.टेक (सिविल इंजीनियरिंग) पाठ्यक्रम शुरू करने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के सात पदों को सृजित कर भरने की मंजूरी दी गई।

मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के राजकीय बहुतकनीकी महाविद्यालय सुन्दरनगर में कम्प्यूटर साईस और इंजीनियरिंग (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग) में एक नया डिप्लोमा कोर्स शुरू करने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में मंडी जिला के श्री लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक में न्यूक्लियर मेडिसन विभाग स्थापित करने का निर्णय लिया। इसके अलावा, बैठक में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर, न्यूक्लियर मेडिसन टेक्नोलॉजिस्ट और रेडिएशन सेफ्टी अधिकारी जैसे पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने जिला सिरमौर के डॉक्टर वाई.एस. परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के पैथोलॉजी विभाग के अंतर्गत इम्यूनोहेमेटोलॉजी और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद को भरने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में एलोपैथिक चिकित्सकों को भारत या विदेश में अध्ययन अवकाश (स्टडी लीव) के दौरान पूरा वेतन प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी 135 पुलिस थानों को जनसंख्या, क्षेत्रफल, बड़े अपराध, यातायात, अंतर्राज्यीय सीमाओं और पर्यटकों की आवाजाही जैसे मानकों के आधार पर छः श्रेणियों में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया है। पुलिस थानों में स्टाफ की तैनाती को उनकी श्रेणियों के अनुसार संशोधित किया जाएगा ताकि फील्ड कार्यालयों को सुदृढ़ किया जा सके और जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकें।

बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रवेश कर (एन्ट्री टैक्स) की वसूली के लिए नीलामी-कम-निविदा प्रक्रिया को मंजूरी प्रदान की गई, जिससे वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में 11.56 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व अर्जित होने की संभावना है। इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने राज्य में सभी एन्ट्री टॉल बैरियर्ज पर चरणबद्ध तरीके से फास्टैग सुविधा लागू करने का निर्णय लिया। पहले चरण में यह सुविधा गरामोड़ा (बिलासपुर), परवाणु (मेन) और टियारा बाईपास (सोलन), गोविन्दघाट (सिरमौर), कंडवाल (नूरपुर), मैहतपुर (ऊना) और बद्दी (सोलन) के टोल बैरियर्ज पर शुरू की जाएगी।

मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिला की सदर तहसील के आठ पटवार वृतों को नम्होल उप-तहसील में शामिल कर इसका पुनर्गठन करने का निर्णय लिया।

मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा के लिए 27 पुलिस मोटरसाइकिलों को झंडी दिखाकर रवाना किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने ओक ओवर से सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए 27 पुलिस मोटरसाइकिलों को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि इनमें से कांगड़ा जिला पुलिस को 14 और मंडी जिला पुलिस को 13 मोटरसाइकिलें दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त शीघ्र ही शिमला, नूरपुर, मंडी और कांगड़ा पुलिस जिलों को बचाव कार्यों के लिए 42 चौपहिया वाहन, 14 इंटरसेप्टर वाहन और 10 रेस्क्यू वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे।

इन चार पुलिस जिलों के लिए 3,373 सड़क सुरक्षा उपकरणों की खरीद के लिए 90 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। अब तक पुलिस विभाग को 5.71 करोड़ रुपये की लागत से 1,200 से अधिक उपकरण प्रदान किए जा चुके हैं। शिमला में एकीकृत सड़क सुरक्षा प्रवर्तन प्रणाली स्थापित करने के लिए लगभग 60 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस प्रणाली को शिमला, कांगड़ा और मंडी जिलों में 450 से अधिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-आधारित निगरानी कैमरों से जोड़ा जाएगा, जिससे राज्य में पुलिस बेहतर और सुचारू तरीके से यातायात नियमों की डिजिटल निगरानी कर सकेगी।

इसके अलावा 34.66 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय के साथ एक सामूहिक कार्य योजना तैयार की गई है। योजना के तहत शिमला जिला के 20 प्रतिशत असुरक्षित सम्पर्क मार्ग नेटवर्क में सुधार सुनिश्चित किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग और अन्य संबंधित विभाग इस पहल को प्रभावी ढंग से लागू करने में सहयोग प्रदान करेंगे।

सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए

राज्य के सात जिलों में गुड सेमेरिटन लॉ जागरूकता कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत 300 से अधिक पुलिस और होमगार्ड कर्मियों को बुनियादी जीवन रक्षक तकनीकों में प्रशिक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त 200 से अधिक पुलिस अधिकारियों ने यातायात सुरक्षा प्रवर्तन और सड़क दुर्घटना जांच तकनीकों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

हिमाचल प्रदेश में लगभग 7,500 किलोमीटर लम्बी सड़कों के लिए पहली बार अंतरराष्ट्रीय सड़क मूल्यांकन कार्यक्रम सर्वेक्षण किया गया है। इस सर्वेक्षण के आधार पर सुरक्षा मानकों के अनुसार सड़कों का मूल्यांकन किया गया है। 3,200 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ 10 वर्षीय सुरक्षित सड़क निवेश योजना तैयार की गई है, जिसमें लोक निर्माण तथा परिवहन विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों को शामिल किया जाएगा।

प्रदेश सरकार की नवीन पहलों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। जिसके फलस्वरूप पिछले दो वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं और घायलों की संख्या में कमी दर्ज की गई है और हिमाचल प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में 6.48 प्रतिशत की कमी आई है। वर्ष, 2023 में 2,253 दुर्घटनाएं दर्ज की गई थी जबकि वर्ष, 2024 में 2,107 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर में भी सुधार हुआ है। वर्ष, 2023 में 892 मृत्यु दर्ज की गई, जबकि वर्ष, 2024 में 806 मृत्यु दर्ज की गई। राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता प्रदान करते हुए अनेक सुधारात्मक उपायों को लागू है जिसके फलस्वरूप सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।

ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से भेंट की

शिमला/शैल। ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से भेंट की और यूके-हिमाचल प्रदेश के संबंधों को मजबूत करने को लेकर चर्चा की।

प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व यूके की डिप्टी हाई कमीशनर कैरोलिन रौवेट और यूके सरकार के राजनीतिक, प्रेस और परियोजना सलाहकार राजेन्द्र एस. नागरोटी ने किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को यूके और हिमाचल के बीच चल रही तथा संभावित साझेदारियों के बारे में जानकारी दी।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कृषि प्रौद्योगिकी (एग्री टैक), ग्रीन हाइड्रोजन, इलैक्ट्रिक वाहन, पर्यटन, डेयरी उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, डेटा भंडारण और जल संसाधन प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में साझेदारी पर गहरी रूचि दिखाई। उन्होंने इस क्षेत्र में यूके की विशेषता का लाभ उठाकर पारस्परिक विकास और प्रगति को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।

मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को यूके प्रतिनिधिमंडल के साथ आगामी की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए ताकि प्रस्तावित परियोजनाएं प्रभावी ढंग से क्रियान्वित की जा सके।

बैठक के दौरान हिमाचल प्रदेश से यूके को हल्दी निर्यात को लेकर विशेष चर्चा हुई, जिस पर मुख्यमंत्री ने गहरी रूचि दिखाई और इस व्यापारिक अवसर को सुलभ बनाने पर बल दिया।

कैरोलिन रौवेट ने हिमाचल प्रदेश और यूके के निवेशों के बारे में बताया और कहा कि बैठक के दौरान कुल्लू में एक कृषि उद्योग और राज्य में भारतीय संचालित स्कॉटिश डिस्टिलरी की स्थापना के बारे में चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बैठक यूके-हिमाचल के संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के मध्य सहयोग और आदान-प्रदान के नए अवसर सृजित होंगे।

ई-कचरा निपटान के लिए नये नियम लागू

शिमला/शैल। पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में बढ़ते ई-कचरे और इसके निपटान से जुड़ी समस्याओं से निजात पाने के लिए नये नियम को लागू किया गया है। सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और आयोगों द्वारा उत्पन्न ई-कचरे का निपटान 'ई-कचरा (प्रबन्धन) नियम-2016' के नियम-9 के अनुसार किया जाएगा।

नये नियम के तहत ई-कचरे को केवल अधिकृत संग्रह केन्द्रों, निर्माताओं के डीलरों, विघटनकर्ताओं, पुनर्चक्रणकर्ताओं या निर्माताओं द्वारा नामित टेक-बैक सेवा प्रदाताओं के माध्यम से अधिकृत विघटनकर्ताओं या पुनर्चक्रणकर्ताओं तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि अब केवल हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकृत अधिकृत ई-कचरा संग्रह केन्द्र, निर्माताओं के डीलर, विघटनकर्ता या पुनर्चक्रणकर्ता ई-कचरे की नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र होंगे।

प्रवक्ता ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में ई-कचरा निपटान प्रथाएं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित 'ई-कचरा (प्रबन्धन) नियम-2016' के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं थी, जिस कारण प्रदेश में नये नियमों को लागू किया गया है। ई-कचरे में विषाक्त घटक होते हैं, जो उचित प्रबन्धन के अभाव में पर्यावरण और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन जोखिमों को कम करने के लिए ई-कचरे का निपटान जिम्मेदारी से करना तथा दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

विभाग ने लोगों से आग्रह किया गया है कि वे ई-कचरे को खुले स्थानों या सामान्य कचरे के साथ न फेंके तथा ई-कचरे को अधिकृत पुनर्चक्रण केन्द्रों को ही सौंपा जाए। विभाग ने सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और आयोगों को निर्देश जारी किए हैं कि ई-कचरे के निपटान के लिए नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए।

एक अच्छे घर के बराबर कोई स्कूल नहीं है और एक अच्छे माता-पिता के बराबर कोई शिक्षक नहीं है।

...... महात्मा गांधी

सम्पादकीय

दिल्ली की हार से कांग्रेस पर उठते सवाल

दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इस बार भी शुन्य से आगे नहीं बढ़ पायी। जबकि लोकसभा में 2014 में 44 और 2019 में 57 से बढ़कर इस बार 99 तक पहुंच गयी तथा नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल कर लिया। लेकिन लोकसभा में बढ़ने के बाद हुए हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव हार गयी तथा दिल्ली में फिर खाता तक नहीं खोल पायी। राम जन्मभूमि और मंदिर निर्माण आन्दोलन से लेकर अन्ना हजारे तथा स्वामी रामदेव के भ्रष्टाचार विरोध में लोकपाल की मांग को लेकर उठे आन्दोलन का प्रभाव रहा है कि कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गयी तथा भाजपा के हाथ में सता आ गयी। इसी सबके प्रभाव और परिणाम स्वरुप कांग्रेस से कई नेता दल बदल कर भाजपा में शामिल हो गये। लगभग सभी राज्यों में ऐसा हुआ। कई राष्ट्रीय पंक्ति के नेता भी कांग्रेस छोड़ गये। भाजपा को 2014 में 282 और 2019 में 303 सीटें मिली। इसी के आधार पर 2024 में अब की बार चार सौ पार का नारा लगा लेकिन 240 से आगे नहीं बढ़ पायी और सहयोगियों के सहयोग से सरकार बन पायी। इस तरह के राजनीतिक परिदृश्य में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि कांग्रेस यह विधानसभा चुनाव क्यों हार गयी और इसका परिणाम क्या होगा।

2014 से 2024 तक हुये हर चुनाव में ईवीएम और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं। इन सवालों के साक्ष्य भी सामने आये और मामला अदालतों तक भी पहुंचा। यह मांग की गयी कि चुनाव ईवीएम की जगह मत पत्रों से करवाये जायें। लेकिन अदालत ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया और चुनाव आयोग को पारदर्शिता के लिये कुछ निर्देश जारी कर दिये। अब हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में जो साक्ष्य सामने आये और उसके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत यचिकाएं अदालतों में आ चुकी हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिये नियम बदल दिये गये और ईवीएम तथा चुनाव आयोग के विरुद्ध एक जन आन्दोलन का वातावरण निर्मित हुआ लेकिन इस वातावरण को इण्डिया गठबंधन के घटक दलों ने ही सहयोग नहीं दिया। इण्डिया गठबंधन के मंच तले लोकसभा का चुनाव लड़कर भाजपा को 240 पर रोक कर यह गठबंधन हरियाणा और दिल्ली में बिखर गया तथा हार गया।

लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिये जिस विपक्षी एकता की आवश्यकता महसूस की गयी वही एकता विधानसभा चुनावों के लिये भी आवश्यक थी यह एक सामान्य समझ का विषय है। दिल्ली में जब आप ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला तब सपा आरजेडी और टीएमसी तथा एनसीपी (पवार ग्रुप) सभी ने दिल्ली में आप को सहयोग और समर्थन दिया। कांग्रेस को अकेले उतरना पड़ा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इण्डिया के घटक दलों को अपने-अपने यहां कांग्रेस का पूरा सहयोग और समर्थन चाहिये लेकिन इसके लिये कांग्रेस को बराबर का हिस्सा नहीं देंगे। इस तरह घटक दलों के प्रभाव क्षेत्रों में कांग्रेस का अपना नेतृत्व स्वीकार्य नहीं की व्यवहारिक नीति पर घटक दल चल रहे हैं और यही भाजपा की आवश्यकता है। इससे कांग्रेस को घटक दलों और भाजपा के खिलाफ एक साथ लड़ने की व्यवहारिक आवश्यकता बनती जा रही है। समूचे विपक्ष के सामने हर चुनाव में ईवीएम के खिलाफ और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। इस समय यह स्थिति बन चुकी है कि विपक्ष या तो इस मुद्दे पर निर्णायक लड़ाई एक जन आन्दोलन के माध्यम से लड़ने का फैसला ले और उसके लिये चुनावों का बहिष्कार भी करना पड़े तो उसके लिये भी तैयार रहे अन्यथा इस मुद्दे को बन्द कर दिया जाये।

इस तरह कांग्रेस को यह मानकर चलना होगा कि उसे जनता में अपनी विश्वसनीयता स्थापित करने के लिये कांग्रेस को बौद्धिक आधार पर मजबूत बनाना होगा। क्योंकि कांग्रेस केन्द्र की सत्ता में तो है नहीं इसलिये उसे अपनी राज्य सरकारों के माध्यम से ही अपनी विश्वसनीयता बनानी होगी। कांग्रेस को हर राज्य की वित्तीय स्थिति का व्यावहारिक आकलन करके ही अपने चुनाव घोषणा पत्र जारी करने होंगे। सत्ता पाने के लिये किये गये अव्यवहारिक वायदे कभी भी कोई सरकार पूरे नहीं कर सकती है। इस समय हिमाचल की सुक्खू सरकार से मतदाता का हर वर्ग नाराज है। सरकार ने प्रदेश पर इतना कर्ज भार डाल दिया है कि आने वाले दिनों में स्थितियां बहुत भयंकर हो जायेंगी। इस समय हिमाचल सरकार के फैसले हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली चुनाव में चर्चा का मुद्दा रहे हैं जिससे कांग्रेस की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं।

प्रयागराज महाकुंभ को साम्प्रदायिक नहीं समावेशी सांस्कृतिक दृष्टि से देखिए

गौतम चौधरी

विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम, महाकुंभ मेला, आध्यात्मिकता, आस्था और सांस्कृतिक विरासत का शानदार उत्सव है। यह आयोजन, जो पवित्र गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती के मिलन स्थल, प्रयागराज के संगम पर प्रत्येक बारह वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और संगठनात्मक कौशल के प्रति श्रद्धांजलि है। इस पवित्र अवसर को सांप्रदायिक रंग देकर इसका राजनीतिकरण करने का प्रयास करना भ्रामक और हानिकारक है।

महाकुंभ मूलतः आस्था से जुड़ा है। कुंभ मेला, जो चार अलग-अलग स्थानों-प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक-में अमृत की बूंदों के आकस्मिक छलकने की किंवदंती पर आधारित है, हिंदुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि मेले के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से मानव के संचित पाप धुल जाते हैं और श्रद्धालु जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। अपने आध्यात्मिक महत्व के अलावा, यह मेला एक सांस्कृतिक समागम भी है, जो दुनिया के सामने भारतीय परंपराओं, कला, वाणिज्य और शिक्षा का प्रदर्शन करता है। यूनेस्को के तहत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर-सरकारी समिति ने 2017 में दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित अपने 12वें सत्र के दौरान मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में 'कुंभ मेला' को शामिल किया है। ऐसा कहा जाता है कि यह हिन्दू धार्मिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण परिष्करण स्थल भी बनता रहा है। महाकुंभ एक सामाजिक अनुष्ठान और उत्सव है, जो भारत की अपनी इतिहास और स्मृति की धारणा से निकटता से जुड़ा हुआ है।

दुनिया इसे एक चमत्कार के रूप में देखती है, जिसमें एक विशेष स्थान पर लाखों लोगों का वर्ग-विहीन और जाति-विहीन सामाजिक जमावड़ा बिना किसी भौतिक सूचना के प्रदर्शित होता है। इस बार के प्रयागराज कुंभ में कई प्रकार के विवाद भी देखने को मिले। उन विवादों में से एक महत्वपूर्ण विवाद में आरोप लगाया गया कि मुसलमानों को प्रवेश से रोका गया है। महाकुंभ में प्रवेश करने के बारे में जो भी दावे किए जा रहे हैं, वे निराधार हैं और उन लोगों द्वारा प्रेरित हैं जो तुच्छ लाभ के लिए साम्प्रदायिक विभाजन को महत्व देने पर तुले हैं। मेले में आने या भाग लेने वाले समुदायों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। महाकुंभ लाखों लोगों को आस्था और भक्ति के साझा अनुभव में एक साथ लाकर धर्म से परे चला जाता है। इस घटना को राजनीतिक या सांप्रदायिक बनाने के प्रयास न केवल निराधार हैं, बल्कि भारत की समावेशी भावना का अपमान भी हैं।

कुंभ के बारे में यदि कहा जाये तो यह अन्य किसी धर्म के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। इसमें हिन्दुओं के सभी संप्रदाय के संत तथा श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। हालांकि, इस महा धार्मिक मेला में वे तमाम लोग आ सकते हैं, जो भारत के पारंपरिक सांस्कृतिक मान्यताओं में अपनी आस्था रखते हैं। इसके अलावा, इसकी तुलना कुछ लोग हज यात्रा से भी करने लगे हैं। मसलन, हज, मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है, जो केवल मुसलमानों के लिए ही होता है। इस धार्मिक विशिष्टता का विश्व भर में सम्मान किया जाता है। यहां तक कि मुसलमानों के कई ऐसे पंथ हैं, जिन्हें भी मक्का के पवित्र स्थल पर इन दिनों जाना मुमकिन नहीं है। इस्लाम के एक आलिम मौलवी यूट्यूब पर बता रहे थे कि हज बिना कलमा पढ़े संभव नहीं है। यानी इसका साफ संदेश है कि मक्का वही जा सकता है जो इस्लाम के धार्मिक चिंतन में अपनी आस्था रखता है। यदि महाकुंभ की बात करें तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। सनातन हिन्दू मान्यता के अनुसार महाकुंभ में किसी को भी शामिल होने का अधिकार है। क्योंकि हिन्दू चिंतन यह मानता है कि जो जीव इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उनको मोक्ष का अधिकार प्राप्त है। वह सभी मोक्ष को प्राप्त होगा। सभी को अपने पापों से मुक्ति का अधिकार है। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो हिन्दू नहीं है वह कभी मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा। हिन्दू चिंतन में कहा गया है कि किसी भी आस्था और मान्यता वाले व्यक्ति को मोक्ष का अधिकार है। इसलिए महाकुंभ में हर कोई जा सकता है। इसमें हिंदू और मुसलमानों का कोई बंधन नहीं है। कुंभ में हर किसी का स्वागत है। इस चिंतन को मान कर कई अन्य धर्म के लोगों ने भी प्रयागराज के इस वर्तमान कुंभ में स्नान किया है। अन्य हिंदुओं की तरह ही इस आयोजन में मुसलमान व ईसाई सबका स्वागत है। इस समावेशिता का सम्मान कुछ आवश्यक परंपराओं का पालन करके किया जाना चाहिए। छिटपुट घटनाओं को बहुमत का दृष्टिकोण बताना भारत और खासकर हिन्दुओं के समावेशी चरित्र का अपमान है।

इस मामले में थोड़ी सतर्कता तो जरूरी है ही। महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि कम से कम भारत की जनसंख्या का एक चौथाई हिस्सा इस बार के कुंभ में डुबकी लगाने वाला है। इससे इसका प्रबंधन एक बहुत बड़ा कार्य बन जाता है। सावधानीपूर्वक तैयारी, असाधारण कार्य और अनेक सरकारों के बीच समन्वय, विभिन्न प्रकार की एजेंसिया का समन्वयं, स्थानीय प्राधिकरण का प्रबंधन और इतने बड़े आयोजन के सुचारू संचालन के लिए स्वयंसेवकों की आवश्यकता है। सरकार ने सार्वजनिक सुविधाओं के साथ टेंट सिटी स्थापित करने से लेकर सुरक्षा बनाए रखने और रसद प्रबंधन तक हर मामले में उल्लेखनीय संगठनात्मक कौशल का परिचय दिया है। इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो हज यात्रा का आयोजन, जिसमें लगभग 40 लाख मुसलमान शामिल होते हैं, एक कठिन कार्य है। कल्पना कीजिए कि महाकुंभ में आपको सौ गुना बड़ी भीड़ का प्रबंधन करना पड़े, तो कितने इंतजाम करने होंगे? इस आयोजन का सुचारू संचालन और अपेक्षित समापन, विश्व मंच पर भारत की संभावित नेतृत्वकारी स्थिति को उजागर करता है, जो न केवल हिंदुओं के लिए, बल्कि सभी भारतीयों के लिए गर्व का विषय है।

महाकुंभ समुदाय, संस्कृति और धर्म का सम्मान करने वाला त्योहार है। यह विभाजनकारी चर्चा या राजनीतिक एजेंडे को साधने का मंच नहीं है। भारतीय नागरिक होने के नाते हमें इस आयोजन के त्रुटिहीन क्रियान्वयन पर गर्व होना चाहिए, जो भारत की प्रशासनिक और सांस्कृतिक क्षमता को दर्शाता है। बेबुनियाद अफवाहों और ध्रुवीकरण के आगे झुकने के बजाय नकारात्मक प्रचार-प्रसार से हटकर, आइये हम महाकुंभ के वास्तविक अर्थ पर ध्यान केंद्रित करें, जो आध्यात्मिकता और पारस्परिक संबंधों का उत्सव है।

यह एकजुटता, आत्मनिरीक्षण और हमारे साझे इतिहास पर गर्व का अवसर है। आइये हम यह सुनिश्चित करें कि इस आयोजन की पवित्रता बरकरार रहे और यह दुनिया भर के लोगों में आश्चर्य और विस्मय पैदा करता रहे, भारत ने एक बार फिर दिखा दिया है कि उसके पास इतनी बड़ी सभा को संभालने के लिए संगठनात्मक कौशल और नेतृत्व का गुण हैं। एक सुसंगत राष्ट्र के रूप में, आइये हम इस अद्भुत उपलब्धि का जश्न मनाएं तथा एक-दूसरे के प्रति शांति और सम्मान की भावना को कायम रखें, जो हमारे बहुसांस्कृतिक देश की केवल विरासत ही नहीं विशेषता भी है।

भारत की उच्च शिक्षा: परंपरा से परिवर्तन तक

भारत में शिक्षा इसकी उस प्राचीन दार्शनिक परंपरा में गहराई से अंतर्निहित है, जहां विद्या को महज ज्ञान के संचय के रूप में नहीं बल्कि समग्र आत्म-सशक्तीकरण के साधन के रूप में देखा जाता था। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में कहा गया है कि 'ज्ञान की संपदा वास्तव में सभी प्रकार की संपदाओं में सर्वोच्च है।' वर्षों से, भारत ने ज्ञान की इस अमूल्य संपदा को समृद्ध करने और इसे अपने युवाओं तक पहुंचाने का प्रयास किया है। विशेष रूप से, पिछले दशक में, भारत ने वैश्विक रैंकिंग में अपने प्रतिनिधित्व में 318 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है-जोकि जी20 देशों के बीच सबसे अधिक वृद्धि है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इस सकारात्मक छलांग पर प्रकाश डालना अहम है।

“गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के उत्साहजनक परिणाम मिल रहे हैं। हम अपने शैक्षणिक संस्थानों को समर्थन देना जारी रखेंगे और विकास एवं नवाचार के अवसर प्रदान करेंगे। इससे हमारे युवाओं को काफी मदद मिलेगी।” –प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

भारत के विश्वविद्यालयों का विस्तार और विद्यार्थियों का प्रवाह

10 फरवरी को, नीति आयोग ने 'राज्यों और राजकीय सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार' शीर्षक रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट राजकीय सार्वजनिक विश्वविद्यालयों (एसपीयू) पर केन्द्रित है, जो विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में शिक्षा को अधिक सुलभ बनाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहे हैं। वर्तमान में, एसपीयू 3.25 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को सेवा प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में 2035 तक नामांकन को दोगुना करने का लक्ष्य रखे जाने के साथ, एसपीयू अधिकांश विद्यार्थियों को शिक्षित करना जारी रखेंगे।

देश की शिक्षा प्रणाली का विकास एवं विस्तार

वर्ष 1947 में भारत की आज़ादी के समय, देश की शिक्षा प्रणाली विभिन्न प्रकार की चुनौतियों से ग्रसित थी। भारत में केवल 17 विश्वविद्यालय और 636 कॉलेज थे, जो लगभग 2.38 लाख विद्यार्थियों को सेवा प्रदान करते थे। साक्षरता दर चिंताजनक रूप से कम 14 प्रतिशत थी। अब, हमारे पास 495 राजकीय सार्वजनिक विश्वविद्यालय और उनके साथ 46,000 से अधिक संबद्ध संस्थान हैं जो वास्तव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के कुल नामांकन में 81 प्रतिशत की हिस्सेदारी करते हैं, जोकि पूरे भारत में उच्च शिक्षा को सुलभ बनाता है।

भारत में उच्च शिक्षा के इकोसिस्टम का उदय

वर्ष 1857 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में शुरुआती विश्वविद्यालयों की स्थापना के बाद से, भारत की उच्च शिक्षा के इकोसिस्टम में काफी विस्तार हुआ है। वर्ष 1950-51 में देश में सिर्फ 30 विश्वविद्यालय और 578 कॉलेज थे। हालांकि, एआईएसएचई रिपोर्ट 2021-2022 के अनुसार, परिदृश्य बदल गया है और अब 1,168 विश्वविद्यालय, 45,473 कॉलेज एवं 12,002 स्टैंड-अलोन संस्थान अस्तित्व में हैं। पिछले दो दशकों में अकेले कॉलेजों की संख्या ही चौगुनी से अधिक हो गई है, जोकि इस क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि को रेखांकित करती है।

जीईआर में उल्लेखनीय वृद्धि

वर्ष 1950-51 और 2021-22 के बीच, भारत का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) उल्लेखनीय रूप से 71 गुना बढ़ गया, जोकि पिछले दशकों में विद्यार्थियों के नामांकन को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। जीईआर के आंकड़े इस वृद्धि को दर्शाते हैं। वर्ष 1950-51 में जीईआर 0.4 था, जो 2021-22 में बढ़कर 28.4 तक जा पहुंचा। यह प्रभावशाली प्रगति राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य 2035 तक 50 प्रतिशत का जीईआर हासिल करना है।

विभिन्न श्रेणियों में नामांकन के रुझान

राजकीय सार्वजनिक विश्वविद्यालयों (एसपीयू) में नामांकन: 2011-12 में 2.34 करोड़ विद्यार्थियों से बढ़कर 2021-22 में 3.24 करोड़ विद्यार्थी हो गया।

एसईडीजी (सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह) के विद्यार्थियों का नामांकन (2011-2022): अन्य पिछड़ा वर्ग (भारत की उच्च शिक्षा) परंपरा से परिवर्तन तक (ओबीसी) के विद्यार्थियों के नामांकन में 80.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, अनुसूचित जाति (एससी) के विद्यार्थियों के नामांकन में 76.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2011-12 में, 15 प्रतिशत पात्र अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों (18-23 वर्ष की आयु) को पूरे भारत में एचईआई में नामांकित किया गया था, जो 2021-22 तक बढ़कर लगभग 26 प्रतिशत हो गया। अनुसूचित जनजाति (एसटी) के विद्यार्थियों का नामांकन भी दोगुना हो गया और उसमें 106.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा उच्च शिक्षा में पात्र अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का प्रतिशत पिछले दशक में 11 से बढ़कर 21 प्रतिशत हो गया, जबकि मुस्लिम अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के नामांकन में 60.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के नामांकन में 53.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

एसपीयू में दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) विद्यार्थियों का नामांकन: 2011-12 में 52,894 विद्यार्थी से बढ़कर 2016-17 में 53,921 विद्यार्थी (2 प्रतिशत की वृद्धि) और 2021-22 में 56,379 विद्यार्थी (2016-17 से 4.6 प्रतिशत की वृद्धि) और (2011-12 से 6.6 प्रतिशत की वृद्धि) हो गया।

राजकीय सार्वजनिक विश्वविद्यालय (शिक्षण विभाग और संबद्ध इकाइयों/ऑफ-कैंपस केन्द्रों) नामांकन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी निभाते हैं, जो 2011-12 में 24.5 लाख से बढ़कर 2021-22 में लगभग 29.8 लाख हो गया है और 21.8 प्रतिशत की दशकीय वृद्धि को दर्शाता है।

राज्य के निजी विश्वविद्यालयों (शिक्षण विभाग और संबद्ध इकाइयों/ऑफ-कैंपस केन्द्रों) ने बेहद उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की, 2011-12 में नामांकन 2.7 लाख से बढ़कर 2021-22 में 16.2 लाख हो गया-497 प्रतिशत की एक आश्चर्यजनक वृद्धि।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों (शिक्षण विभाग और संबद्ध इकाइयों/ऑफ-कैंपस केन्द्रों) में एक दशक के दौरान 26.4 प्रतिशत की मध्यम वृद्धि दर्ज की गई, जो 2011-12 में 5.55 लाख से बढ़कर 2021-22 में 7.01 लाख हो गई।

वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय जीपीआई (लिंग समानता सूचकांक) 2011-12 में 0.87 की तुलना में 1.01 था, जो एक दशक में लैंगिक समानता की दिशा में 16 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

अखिल भारतीय स्तर पर शैक्षणिक पदों पर शिक्षक

भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में लगभग 16 लाख शिक्षक हैं, जिनमें से अधिकांश (68 प्रतिशत) व्याख्याता/सहायक प्रोफेसर हैं। रीडर/एसोसिएट प्रोफेसर कुल संकाय का लगभग 10 प्रतिशत हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसके बाद प्रोफेसर एवं समकक्ष 9.5 प्रतिशत, डेमन्स्ट्रेटर/ट्यूटर 6 प्रतिशत, अस्थायी शिक्षक 5.7 प्रतिशत और विजिटिंग शिक्षक 0.8 प्रतिशत हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में प्रोफेसरों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है।

वैश्विक अनुसंधान में भारत का योगदान

वैश्विक स्तर पर अनुसंधान संबंधी प्रकाशनों में भारत के योगदान में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 2017 में 3.5 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 5.2 प्रतिशत हो गई है। यह वृद्धि एनआईआरएफ 2024 रैंकिंग में परिलक्षित होती है, जहां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) अनुसंधान संबंधी आउटपुट के मामले में अग्रणी हैं, जो 16 संस्थानों के माध्यम से कुल प्रकाशनों में 24 प्रतिशत से अधिक का योगदान देते हैं। इसके बाद निजी डीम्ड विश्वविद्यालयों का स्थान है, जो कुल प्रकाशनों में लगभग 23.5 प्रतिशत की हिस्सेदारी करते हैं और 22 संस्थानों ने अपने अनुसंधान संबंधी आउटपुट में सुधार दर्शाया है।

भारत ने अपने उच्च शिक्षा क्षेत्र में भी एक मजबूत निवेश किया है और 2021 में अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 1.57 प्रतिशत हिस्सा तृतीयक स्तर की शिक्षा को समर्पित करते हुए कई यूरोपीय देशों को पीछे छोड़ दिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूनाइटेड किंगडम के करीब आ गया। यह निरंतर निवेश भारत के शिक्षा से जुड़े इकोसिस्टम के विस्तार और मजबूती का समर्थन करता है, जिससे अनुसंधान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुलभता के मामलों में प्रगति सुनिश्चित होती है।

प्रदेश सरकार गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा के लिए उठा रही अनेक सुधारात्मक कदम

वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश में विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनेक नवोन्मेषी पहल की हैं। शिक्षा क्षेत्र व शिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अनेकों सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं तथा विभिन्न योजनाएं आरम्भ की गई हैं।

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षण कार्य में गुणवत्ता लाने और विद्यार्थियों को बेहतरीन सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने स्कूलों के क्लस्टर बनाए हैं। स्कूलों के क्लस्टर बनने के फलस्वरूप विद्यार्थियों और अध्यापकों दोनों की संख्या बढ़ी है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित हुई है। प्रदेश सरकार की इस पहल से अब प्राइमरी स्कूलों के बच्चे भी उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्थापित प्रयोगशालाओं सहित अन्य सुविधाओं का लाभ भी उठा रहे हैं।

सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों में आत्मविश्वास पैदा करने और शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने के लिए पहली कक्षा से अंग्रेज़ी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, विद्यार्थियों को बेहतरीन शिक्षा और विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक से लैस राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा 6297 प्राइमरी स्कूलों में प्री-स्कूल कक्षाएं आरंभ की गई हैं।

सरकार ने विधवा, निराश्रित, परित्यक्त और विकलांग महिलाओं के बच्चों की शिक्षा और कल्याण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना' भी शुरू की है। इस योजना के लिए 53.21 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। 15,181 स्कूलों में 'बाल पौष्टिक आहार योजना' शुरू की गई है जिससे 5.34 लाख बच्चों को अंडे, फल जैसे अतिरिक्त पोषण का लाभ मिला है। प्रदेश सरकार ने इस पहल के लिए 12.75 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

सरकार ने डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए महज एक प्रतिशत की मामूली ब्याज दर पर 20 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जा रहा है। विदेश में शैक्षणिक संस्थानों में पेशेवर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शिक्षा ग्रहण करने के लिए कमज़ोर वर्गों के पात्र मेधावी छात्रों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से इस योजना का विस्तार किया गया है। योजना के तहत इन विद्यार्थियों को एक प्रतिशत ब्याज दर पर शैक्षिक ऋण प्रदान किया जा रहा है।

सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाने के लिए 'मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना' का शुरू की गई है, जिसका लाभ नर्सरी से आठवीं कक्षा तक 15,181 के बच्चे उठा रहे हैं।

श्रीनिवास रामानुजन विद्यार्थी योजना के अंतर्गत 10वीं व 12वीं तथा कॉलेजों के मेधावी विद्यार्थियों को 11,552 टैबलेट प्रदान किए गए हैं। टैबलेट प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी पाठ्यक्रम के साथ-साथ डिजिटल साक्षरता भी हासिल करें और भविष्य की नवीन तकनीकों का उपयोग करने में सक्षम बन सकें।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की पहल के तहत विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों में स्मार्ट और वर्चुअल कक्षाएं शुरू की गई हैं। बहुमूल्य सेवाओं के लिए अध्यापकों को सम्मानित करने के लिए राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार योजना-2024 आरम्भ की गई है।

राज्य सरकार ने शिक्षकों के लिए विदेशों में एक्सपोजर विजिट की पहल की है जिसके तहत शैक्षणिक गतिविधियों का ज्ञान अर्जन करने के लिए पहले चरण में 200 शिक्षक सिंगापुर भ्रमण पर भेजे गए। इसके अलावा, 200 शिक्षक केरल और अन्य राज्यों में शैक्षणिक अनुभव हासिल कर लौटे हैं। सरकार की इस पहल का उद्देश्य मूल्यवान अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक मानक कायम करना तथा सुविधाओं से शिक्षकों के ज्ञान को तराशकर भविष्य के लिए असीमित अवसर उपलब्ध करवाने का मंच प्रदान करना है। प्रदेश सरकार ने सिंगापुर की प्रतिष्ठित प्रिंसिपल एकेडमी के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है, जिसके तहत हिमाचल के शिक्षकों को सिंगापुर में आधुनिक शिक्षण विधियों, नेतृत्व कौशल और नवाचार आधारित शिक्षण प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

सरकार द्वारा 50 मेधावी विद्यार्थियों को 11 दिवसीय शैक्षणिक अध्ययन के लिए कंबोडिया और सिंगापुर भेजा भेजा गया है, जो 17 फरवरी को वापिस देश लौटेंगे।

शिक्षा एवं प्रशासनिक कार्यों में डिजिटलीकरण को बढ़ावा प्रदान करने के प्रयासों के अंतर्गत प्राथमिक स्कूल शिक्षकों को टैबलेट प्रदान किए जा रहे हैं। कुल 17,510 शिक्षकों को टैबलेट प्रदान किए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य शिक्षण कार्यों में आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना, डिजिटल शैक्षणिक संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करना और डाटा अपडेट करने जैसे प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाना है। इसके माध्यम से अध्यापक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेकर अपना ज्ञानवर्द्धन कर सकेंगे।

शिक्षा में गुणवत्ता के उद्देश्य से प्रदेश के 850 शिक्षण संस्थानों को उत्कृष्ट संस्थानों के रूप में अधिसूचित किया गया है। शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के 15 हजार पदों को भरने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। शिक्षकों के 3,200 पद बैचवाइज भरे गए हैं जबकि 2,800 से अधिक पद राज्य चयन आयोग के माध्यम से भरे जा रहे हैं। पीजीटी शिक्षकों के 700 पद और एनटीटी के 6200 पद भरने की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। विद्यार्थियों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शैक्षणिक सत्र के बीच शिक्षकों के तबादलों पर प्रतिबंध लगाया गया है। सीधी भर्ती के अलावा पदोन्नति के माध्यम से भी हजारों पद भरे गए हैं। इसी प्रकार कॉलेज स्तर की शिक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 120 कॉलेज प्रिंसिपल और 483 सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति की है।

प्रदेश के स्कूलों में कृषि और बागवानी को एक अतिरिक्त विषय के रूप में जोड़ा गया है साथ ही स्कूलों में क्लस्टर सिस्टम शुरू किया गया है। खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि, आहार और यात्रा भत्तों में वृद्धि की गई है।

प्रदेश सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम आने आरम्भ हो गए हैं। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन (असर) की 2024 की वार्षिक रिपोर्ट में हिमाचल के विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल को अव्वल आंका गया है। इसके अतिरिक्त, स्कूलों में पेयजल उपलब्धता के मामले में भी हिमाचल को अव्वल स्थान दिया गया है।

राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 30वीं बैठक में 25 परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 30वीं बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नए

औद्योगिक उद्यम स्थापित करने तथा मौजूदा इकाइयों के विस्तार के लिए 25 परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस प्रस्तावों पर लगभग 883.36 करोड़ रुपये का संभावित निवेश होगा और लगभग 2830 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश सर्वाधिक पसंदीदा गंतव्य के रूप में निवेश को आकर्षित कर रहा है।

प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नए प्रस्तावों में कैप्सूल, टैबलेट, लिक्विड आदि के विनिर्माण के लिए मैसर्स बाउजी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र, किरपालपुर, जिला सोलन, पीयूएफ पैनल के विनिर्माण के लिए मैसर्स जय पाली इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड यूनिट 2, औद्योगिक क्षेत्र, मंझोली नालागढ़ जिला सोलन, कोरोगेटेड बकृक्सिस के विनिर्माण के लिए मैसर्स रिच प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड, बद्दी, जिला सोलन, सोलन, लिक्विड, टैबलेट, कैप्सूल के विनिर्माण के लिए मैसर्स रिजलिन्स हैल्थकेयर, औद्योगिक क्षेत्र भूड, तहसील बद्दी जिला सोलन। मैसर्स इंडो स्पिरिट्स तहसील नाहन, जिला सिरमौर, आईएमएफएल और देशी शराब के विनिर्माण के लिए, मैसर्स कौमुदी टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र, चनौर, जिला कांगड़ा, टेक्सटाइल फैब्रिक तौलिया के विनिर्माण के लिए, मैसर्स एफिशिएंट क्रॉप कंट्रोल, नालागढ़ जिला सोलन, जिंक पाउडर आदि के विनिर्माण के लिए, मैसर्स एसए कंसल्टेंसी एंड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र, मंझोली, तहसील नालागढ़ जिला सोलन, मलहम, टैबलेट, कैप्सूल के विनिर्माण के लिए, मैसर्स बार"लेक्स पॉलीफिल्म्स लिमिटेड यूनिट-4, बद्दी, जिला सोलन, प्लास्टिक फिल्म, पीवीसी फिल्म आदि के विनिर्माण के लिए, मैसर्स तिवारी फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र, मंझोली, नालागढ़ जिला सोलन, टैबलेट, कैप्सूल आदि के विनिर्माण के लिए मैसर्स माइक्रो फार्मा मंझोली नालागढ़ जिला सोलन, टैबलेट इंजेक्शन, ड्राई पाउडर आदि के निर्माण के लिए अनुमोदित नए प्रस्तावों में शामिल हैं।

प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित विस्तार प्रस्तावों में ओरल सस्पेंशन, इंजेक्शन, टैबलेट, कैप्सूल के विनिर्माण के लिए मैसर्स क्वालिटी फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र, राजा का बाग, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा, मैसर्स वर्धमान स्पिनिंग मिल्स बद्दी, जिला सोलन, कॉटन और ब्लैंडिड यार्न के विनिर्माण के लिए वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड, बद्दी, जिला सोलन की मैसर्स ऑरो स्पिनिंग मिल्स इकाई कॉटन और ब्लेंडेड यार्न के विनिर्माण के लिए, मैसर्स ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नालागढ़ जिला सोलन, डेकोरेटिव लेमिनेट के विनिर्माण के लिए, मेसर्स अमेर सिल केटेक्स प्राइवेट लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र, गगरेट, जिला ऊना, पॉलिएस्टर यार्न तकनीकी टेक्सटाइल आदि के विनिर्माण के लिए, मेसर्स विनसम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड यूनिट 2, गांव कौंडी, तहसील बद्दी, जिला सोलन, यार्न, कॉटन "लीस के विनिर्माण के लिए, मैसर्स एक्वा विटो लेबोरेटरीज, गांव कुंजहल, तहसील बद्दी, जिला सोलन, इंजेक्शन के विनिर्माण के लिए, मेसर्स एफडीसी लिमिटेड गांव खोल-भूड़ तहसील बद्दी, जिला सोलन, टैबलेट कैप्सूल्स इत्यादि के विनिर्माण के लिए, मैसर्स जुपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड बद्दी, जिला सोलन, सौर सेल्स के विनिर्माण के लिए, मैसर्स मॉडयूलस कॉस्मेटिक प्राइवेट लिमिटेड गांव गोंदपुर जयचंद, जिला ऊना, साबुन के विनिर्माण के लिए, मैसर्स बालाजी स्टोरेज बैटरीज लिमिटेड यूनिट-3, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, बैटरी चार्जिंग पैकिंग के विनिर्माण के लिए, मैसर्स एक्मे जेनरिक्स प्राइवेट लिमिटेड एचपीएसआईडीसी, आईए, दावनी, तहसील नालागढ़ जिला सोलन, कैप्सूल, टैबलेट, लिक्विड स्टार्च इत्यादि के विनिर्माण के लिए, मैसर्स यूरोक्रिट लैब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, गांव थाना, तहसील बद्दी, जिला सोलन, एम्पाउल्स और शीशियों इत्यादि के विनिर्माण के लिए, मैसर्स आरआरडी ऑयल्स एंड फैट्स प्राइवेट लिमिटेड, गांव गोंदपुर जयचंद, तहसील हरोली, जिला ऊना, रिफाइंड खाद्य तेल, डिस्टिल्ड फैटी एसिड आदि के विनिर्माण के लिए।

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, अतिरिक्त मुख्य सचिव के.के.पंत, ओंकार चंद शर्मा और आर.डी. नजीम, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, निदेशक उद्योग यूनुस, विशेष सचिव ऊर्जा अरिंदम चौधरी, सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अनिल जोशी, अतिरिक्त निदेशक उद्योग तिलक राज और अन्य अधिकारी बैठक में शामिल हुए।

प्रदेश सरकार भूस्खलन से निपटने के लिए बायो-इंजीनियरिंग उपायों पर दे रही बल: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन की बढ़ती आवृत्ति से निपटने के लिए राज्य सरकार बायो-इंजीनियरिंग पहल शुरू कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि वेटिवर घास की खेती के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की गई है, जो अपनी गहरी और घनी जड़ों के कारण मिट्टी को मजबूती से बांधती और भूमि कटाव को रोकती है।

उन्होंने कहा, वेटीवर घास का उपयोग विश्व भर में विशेष रूप से भूस्खलन-प्रवण क्षेत्रों, राजमार्ग तटबंधों और नदी के किनारों पर मिट्टी संरक्षण के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। इसकी क्षमता को पहचानते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने वेटिवर फाउंडेशन-क्लाइमेट रेजिलिएंस एंड सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स सीआरएसआई तमिलनाडु के सहयोग से भूस्खलन से निपटने के लिए स्थायी शमन रणनीति विकसित करने के लिए यह परियोजना शुरू की है।

इस पहल के अन्तर्गत प्राधिकरण ने सीआरएसआई से वेटिवर नर्सरी उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है ताकि 2025 के मानसून सीजन से पहले पर्याप्त मात्रा में पौधे उपलब्ध हो सकें। सीआरएसआई ने 1,000 वेटिवर घास के पौधे निःशुल्क उपलब्ध करवाए हैं और इन पौधों को कृषि विभाग के सहयोग से सोलन जिले के बेरटी में स्थापित नर्सरी में लगाया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एचपीएसडीएमए वेटिवर घास की सफल खेती और आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पायलट परियोजना की बारीकी से निगरानी कर रहा है। उत्साहजनक रूप से, प्रारंभिक परिणाम पौधों की उच्च जीवित रहने की दर का संकेत देते हैं, जिसमें विकास और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल होने के स्पष्ट संकेत हैं।

वेटिवर घास, जो 3-4 मीटर गहराई तक जड़ें विकसित कर सकती है, एक मजबूत नेटवर्क बनाती है जो मिट्टी को बांधती है जिससे भूस्खलन का खतरा कम होता है। यह एक प्राकृतिक अवरोधक के रूप में कार्य करते हुए पानी के बहाव को धीमा कर देती है और विशेषकर खड़ी ढलानों को भूमि के कटाव को रोकती है। पंक्तियों में लगाए जाने पर वेटिवर घास एक दीवार की तरह काम करती है। इसकी जड़ें अतिरिक्त पानी को सोख लेती हैं और मिट्टी में पानी की अधिकता को कम करती है जिससे भूस्खलन की सम्भावनाएं कम हो जाती है। पारंपरिक समाधानों की तुलना में वेटिवर ढलानों की सुरक्षा के लिए कम लागत टिकाऊ और कम रखरखाव वालाा विकल्प प्रदान करती है।

सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की खड़ी और भौगोलिक रूप से युवा पहाड़ियों की भूस्खलन के प्रति संवेदनशीलता हाल के वर्षो में विभिन्न कारणों से बढ़ रही है। भारी मानसूनी बारिश और भूकंपीय गतिविधि के चलते राज्य में भूस्खलन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इससे निपटने के लिए प्रदेश सरकार वैज्ञानिक और जैव-इंजीनियरिंग तकनीकों को अपनाकर विशेषकर बरसात के मौसम में आपदा प्रबंधन को और अधिक मजबूत बनाने और लोगों व बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है।

दिसंबर 2025 तक हिमाचल में 72 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि दिसंबर, 2025 तक हिमाचल प्रदेश में सात परियोजनाओं से 72 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ऊना जिला में दो परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू किया है, इनमें से 12 मेगावाट क्षमता की एक परियोजना गोंदपुर बुल्ला और 11 मेगावाट क्षमता की परियोजना लमलाहड़ी उपरली में स्थित है।

उन्होंने कहा कि सोलन जिला में तीन परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, इनमें नालागढ़ के सनेड में 13 मेगावाट, बड़ा बरोट में आठ मेगावाट और दभोटा माजरा में 13 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि नौ मेगावाट की दभोटा-वन परियोजना के लिए शीघ्र ही निविदा जारी की जाएगी और इसका निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। इसके अलावा, ऊना जिला के टिहरा खास में छह मेगावाट की सौर परियोजना के लिए भी निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसी महीने इसके स्वी त होने की संभावना है।

प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में 325 मेगावाट संयुक्त क्षमता की आठ अतिरिक्त परियोजनाओं के लिए सर्वे किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर पूरी होने के बाद इन सौर ऊर्जा परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार पर्यावरण संरक्षण और सत्त विकास को अधिमान देते हुए वर्ष 2026 तक हिमाचल को देश के पहले हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। प्रदेश सरकार हरित ऊर्जा का उपयोग सुनिश्चित कर पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ कार्बन उत्सर्जन में कमी करने की दिशा में भी कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा अक्षय ऊर्जा स्रोत हैं। इसका उपयोग कर भावी पीढ़ियों के लिए ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। राज्य सरकार की यह नवोन्मेषी पहल जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊना जिला के पेखुबेला में 32 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना 15 अप्रैल, 2024 को जनता को समर्पित की गई थी। इस परियोजना से 48 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया है, जिससे 31 जनवरी, 2025 तक 14 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया है। इसके अलावा, ऊना जिले के भंजाल में पांच मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण कार्य 30 नवंबर, 2024 से शुरू हो गया है और अघलौर में 10 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण इसी माह पूर्ण होने की संभावना है। हरित हाइड्रोजन ऊर्जा के उत्पादन को भी केन्द्र में रखकर राज्य सरकार कार्य योजना बनाकर काम कर रही है। ऑयल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से सोलन जिला के नालागढ़ में एक मेगावाट क्षमता की हरित हाइड्रोजन परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया गया है, जिसके लिए समझौता ज्ञापन एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है।

स्वास्थ्य विभाग में नई मशीनों की खरीद पर 1800 करोड़ खर्च होंगे

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार राज्य के सरकारी अस्पतालों में लगी 30-40 वर्ष पुरानी मशीनें बदलने वाली हैं, जिसके लिए राज्य सरकार ने लगभग 1800 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया है। इलाज में देरी होने से मरीज की बीमारी बढ़ती है और इलाज पर खर्च भी बढ़ता है। सही समय पर बीमारी की पहचान न होने से मरीज का बीमारी पर खर्च 30-50 प्रतिशत बढ़ जाता है। ऐसे में पुरानी मशीनों के कारण मरीजों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने इन्हें बदलने के निर्देश दिए हैं।

स्वास्थ्य विभाग ने इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर दी है। सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों का कायाकल्प करने के लिए चार बिंदुओं पर काम किया जाएगा। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी शुरू करने के साथ-साथ रेडियोलॉजी और लैब के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट उपकरण खरीदे जाएंगे। सभी मेडिकल कॉलेजों में थ्री-टेस्ला मशीनें, 256 स्लाइस वाली हाई-एंड सीटी स्कैन मशीनें, पैट स्कैन मशीनें के साथ-साथ सभी आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे, ताकि मरीजों की बीमारी सही समय पर पता लगाया जा सके और उन्हें सही इलाज मिल सके। साथ ही मेडिकल कॉलेजों में मॉडयूलर ऑपरेशन थियेटर बनाए जाएंगे।

हिमाचल प्रदेश मे कैंसर से ग्रसित मरीजों को अपना इलाज कराने के लिए राज्य सरकार हमीरपुर में 150 बैड का कैंसर केयर सेंटर स्थापित करने जा रही है, जिसमें रेडियेशन थेरेपी के साथ-साथ न्यूक्लियर दवाएं जैसी आधुनिक सुविधाएं कैंसर के मरीजों को उपलब्ध होंगी। इसके अलावा, राज्य सरकार के प्रदेश के 69 स्वास्थ्य संस्थानों में सुविधाओं का विस्तार करेगी, जिसके तहत सभी जोनल अस्पतालों, क्षेत्रीय अस्पतालों, जिला अस्पतालों और सीएचसी में मरीजों के लिए सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। अस्पताल की श्रेणी के हिसाब से इनमें पूर्ण ऑटोमैटिक या सेमी-ऑटोमैटिक लैब, डिजिटल एक्स-रे, हाई-एंड अस्ट्रासाउंड मशीनें, आईसीयू तथा ऑपरेशन थियेटर की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों और अस्पतालों को डिजिटल बनाया जाएगा, ताकि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।

स्वास्थ्य विभाग के डाटा के अनुसार प्रदेश में प्रति वर्ष 9.50 लाख मरीज इलाज के लिए प्रदेश से बाहर जाते हैं, जिससे प्रति वर्ष हिमाचल प्रदेश की जीडीपी को 1350 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। अगर प्रदेश में ही मरीजों को बेहतर इलाज मिले तो प्रदेश के जीडीपी में प्रति वर्ष 550 करोड़ रुपए की बचत होगी और मरीजों का बहुमूल्य समय भी बचेगा।

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं, कि प्रदेश में ही मरीजों को बेहतर इलाज मिलना चाहिए और विभाग समयबद्ध तरीके इस योजना को धरातल पर लागू करना सुनिश्चित करें।

प्राकृतिक खेती से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण पर दिया जा रहा बलः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में किसानों को सशक्त और ग्रामीण आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि खेती की लागत को कम करने किसानों की आय एवं उत्पादकता को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती से जहां मानव और पर्यावरण को रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों से बचाया जा रहा है, वहीं खेती की लागत कम होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में किसान-बागवान विविध फसलों व फलों को प्राकृतिक खेती से उगा रहे हैं। प्रदेश की 3,592 पंचायतों में एक लाख 98 हजार किसान 35 हजार हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती से विविध फसलें उगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती पर विशेष बल देते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 15 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती करने से कृषि की लागत में औसतन 36 फीसदी की कमी आई है और उत्पादों के औसतन 8 फीसदी अधिक दाम मिले हैं। प्राकृतिक खेती कर रहे 75 फीसदी किसान-बागवान फसल विविधिकरण की ओर अग्रसर हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने आगामी दस वर्षों में राज्य को 'समृद्ध और आत्मनिर्भर' बनाने के लिए आत्मनिर्भर हिमाचल की परिकल्पना की है। हमारी सरकार 'समृद्ध किसान समृद्ध हिमाचल' के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार ने रोजगार को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना के तीसरे चरण के तहत राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्ट-अप योजना की शुरूआत की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के उत्पादों को प्राथमिकता के आधार पर खरीदने के साथ पूरे देश में गेहूं और मक्का के लिए सबसे अधिक 40 और 30 रुपये का समर्थन मूल्य तय किया है। इसके तहत प्रत्येक प्राकृतिक खेती करने वाले किसान परिवार से 20 क्विंटल तक अनाज खरीदा जाएगा। हाल ही में कृषि विभाग ने प्रदेश के 1,508 किसानों से 398 मीट्रिक टन मक्की की खरीद कर 'हिम-भोग हिम प्राकृतिक' मक्की आटा बाजार में उतारने के साथ प्राकृतिक उत्पादों के लिए 'हिम प्राकृतिक खेती उत्पाद योजना' की भी शुरुआत की है।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्तिकरण के लिए प्रदेश सरकार ने हाल ही में सात जिलों में बागवानी और सिंचाई परियोजनाओं के लिए 1,292 करोड़ रुपये की योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला देश का पहला राज्य है जहां गाय का दूध 45 रुपये प्रति लीटर और भैंस का दूध 55 रुपये प्रति लीटर की दर पर खरीदा जा रहा है। उन्होंने कहा कि दत्तनगर में 50,000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता के दूध प्रसंस्करण संयंत्र से 20,000 से अधिक डेयरी किसान लाभान्वित होंगे। इसके अलावा, कांगड़ा जिले के ढगवार में पूरी तरह से स्वचालित दूध और दूध उत्पाद प्रसंस्करण संयंत्र की आधारशिला रख दी गई है, जिसे शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। कुल्लू, नाहन और नालागढ़ में 20,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले प्लांट स्थापित किए जाएंगे जबकि ऊना और हमीरपुर में आधुनिक मिल्क चिलिंग प्लांट की योजना बनाई जा रही है। मिल्कफेड वर्तमान में प्रतिदिन 2 लाख लीटर दूध खरीद रहा है और एक अग्रणी पहल के रूप में ऊना जिले में बकरी का दूध 70 रुपये प्रति लीटर की दर पर खरीदा जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए 500 करोड़ रुपये की 'हिम गंगा' योजना शुरू की गई है। पिछले दो वर्षों में 26,000 बीपीएल किसानों को मवेशियों के चारे पर 50 प्रतिशत सब्सिडी मिली है जिससे डेयरी क्षेत्र को महत्वपूर्ण मदद मिली है।

उन्होंने कहा कि सेब उत्पादकों के लिए यूनिवर्सल कार्टन की शुरूआत की गई है। मण्डी मध्यस्थता योजना के तहत बकाया भुगतानों को निपटाने के लिए 153 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सेब, आम और नींबू प्रजाति के फलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 12 रुपये किया गया है। उन्होंने कहा कि बाड़बंदी के लिए 70 प्रतिशत तक तथा अनाज, दलहन, तिलहन और चारा फसलों के लिए बीज पर 50 प्रतिशत और आलू, अदरक और हल्दी के बीज के लिए 25 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले दो वर्षों में जाइका योजना के तहत जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर 96.15 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जिससे 50,000 से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं।

जसूर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना के अंतर्गत कवर करने के मांग

शिमला/शैल। कांगड़ा लोकसभा सदस्य डॉ. राजीव भारद्वाज ने केंद्रीय रेलवे मन्त्री अश्वनी वैष्णव से जसूर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना के अंतर्गत कवर करने की मांग की। उन्होंने हिमाचल में रेलवे के सुदृढ़ीकरण और विस्तार योजनाओं की केंद्रीय मंत्री से विस्तृत चर्चा की।

उन्होंने पठानकोट -जोगिन्दर नगर रेलवे लाइन को ब्रॉडगेज में परिवर्तित करने का अनुरोध किया और आगामी पर्यटन सीजन में हिमाचल के लिये विशेष रेलगाड़ियां चलाने का अनुरोध किया ताकि विभिन्न राज्यों और विदेशों से आने वाले पर्यटकों को आवाजाही का बेहतर और सुरक्षित साधन उपलब्ध करवाया जा सके। उन्होंने बताया की आगामी गर्मियों में देश और विदेशों से भारी संख्या में पर्यटक हिमाचल आते हैं जिनमे से ज्यादातर देवी दर्शन के इच्छुक रहते हैं और ऐसे में उन्हें उचित रेलवे सेवाएं मिल सकें तो राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और यात्रियों को सुगमता प्रदान होगी।

उन्होंने पठानकोट से गुजरने वाली दोनों वन्दे भारत रेलगाड़ियों का पठानकोट में ठहराव का अनुरोध किया और कहा की वर्तमान में केवल एक ट्रेन ही पठानकोट में रूकती है।

डॉ. राजीव भारद्वाज ने रेलवे के बजट में हिमाचल को पर्याप्त धनराशि मुहैया करवाने के लिए रेलवे मंत्री का धन्यवाद किया और कहा की एन डी ए सरकार में हर वर्ष हिमाचल के रेलवे बजट में बम्पर बढ़ोतरी की जा रही है

जोकि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल के प्रति प्यार को दर्शाता है।

केंद्रीय रेलवे मन्त्री अश्वनी वैष्णव ने उनकी मांगों पर सहमति जताई और रेलवे अधिकारीयों को तत्काल उचित कदम उठाने का निर्देश दिया।

सरकार नशे में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कारवाई कर रही:डॉ.शांडिल

शिमला/शैल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कर्नल (डॉ.) धनी राम शांडिल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश में नशे को रोकने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठा रही है तथा राज्य पुलिस अन्य सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कर नशे के अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कारवाई कर रही है।

उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान नशा माफिया के खिलाफ न तो कोई सख्त कारवाई की गई और न ही कोई सख्त कानून बनाने की दिशा में कदम उठाए। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के पूरे पांच साल के कार्यकाल में पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट लंबित रहा, जबकि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही मात्र चार महीनों के भीतर इसकी अधिसूचना जारी कर दी और नशा माफिया के खिलाफ कठोर कारवाई शुरू की। उन्होंने कहा कि यह कानूनी प्रावधान उन लोगों को हिरासत में लेने की अनुमति देता है जो बार-बार नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल पाये जाते हैं, जिससे वे समाज की सुरक्षा को नुकसान न पहुंचा सकें। इस कानून के तहत अब तक प्रायोजक प्राधिकरण ने 81 केस प्रस्तुत किए हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देश पर पिछले छः महीनों में पुलिस ने नशा माफिया की धरपकड़ तेज कर दी है, उनके नेटवर्क को ध्वस्त किया है और उनकी अवैध संपत्तियों को जब्त किया है। पिछले तीन वर्षों में अवैध रूप से अर्जित 16 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है, जिसमें से लगभग 9 करोड़ रुपये की संपत्ति पिछले वर्ष जब्त की गई थी।

कर्नल (डॉ.) धनी राम शांडिल ने कहा कि वर्ष 2024 में नारकोटिक ड्रग्स एवं मनोविकार नाशक पदार्थ अधिनियम के तहत 2515 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा ड्रग्स की तस्करी के नेटवर्क को खत्म करने के लिए प्रभावी पहल की गई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब 40 से 50 स्थलों की तलाशी ली गई ताकि नशे के तस्करों पर नकेल कसी जा सके। उन्होंने कहा कि इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं तथा भारी मात्रा में नशे की सामग्री पकड़ी गई है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में नशे की समस्या से और प्रभावी तरीके से निपटने के लिए राज्य सरकार आने वाले विधानसभा सत्र में हिमाचल प्रदेश नशा निरोधक अधिनियम लाने पर विचार कर रही है ताकि नशे से सम्बन्धित अपराधों को और कड़ाई से निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नशे के व्यापारियों को सख्ती से निपटेगी तथा प्रदेश को नशामुक्त बनाने के लिए वचनबद्ध है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में नशे के तस्करों को और प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अभी हाल ही में मंत्रिमंडल ने एक स्पेशल टास्क फोर्स को गठित करने के लिए अपनी स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि इस फोर्स को नशे की बढ़ती प्रवृत्ति से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए आवश्यक शक्तियां प्रदान की जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोगों को नशे से बचाने के लिए जागरूकता अभियानों को भी चलाया जा रहा है तथा पड़ोसी राज्यों के साथ अन्तर्राज्यीय समन्वय स्थापित किया गया है ताकि पड़ोसी राज्यों से आने वाले नशे के तस्करों को पकड़ा जा सके तथा प्रदेश को नशामुक्त बनाया जा सके।

कौशल विकास निगम के निर्माणाधीन भवनों को पूरा करने के लिए 25 करोड़ रुपये आवंटित करेगी सरकार:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम एचपीकेवीएन की बैठक की अध्यक्षता करते हुए युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कौशल विकास की आवश्यकता पर बल दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार निगम के आठ निर्माणाधीन भवनों के निर्माण को पूरा करने के लिए 25 करोड़ रुपये आवंटित करेगी। इन भवनों के निर्माण कार्य को जून 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इनके अधिकतम उपयोग की

आवश्यकता पर बल दिया गया है। उन्होंने निगम को निर्देश दिया कि युवाओं के प्रशिक्षण के लिए निकटवर्ती एचपीकेवीएन भवनों को तकनीकी शिक्षा विभाग को सौंप दिया जाए। इसके अतिरिक्त, निगम ने प्रशिक्षुओं की सुविधा के लिए राज्य में 67 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई में उपकरणों के उन्नयन के लिए धन उपलब्ध करवाया है।

सुक्खू ने बताया कि पहली जनवरी, 2023 से अब तक 38,713 युवाओं को हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं में नामांकित किया गया है। इनमें से 38,572 को प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र दिए जा चुके हैं और 8,630 प्रशिक्षुओं की प्लेसमेंट हुई है। उन्होंने प्रशिक्षुओं की दक्षता और कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए अधिकारियों को निगम का प्रशासनिक नियंत्रण तकनीकी शिक्षा निदेशक को हस्तांतरित करने की संभावना तलाशने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने निगम को बाजार की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम की कार्ययोजना बनाने और उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि युवाओं की क्षमता का निर्माण हो सके और छोटे पैमाने के स्टार्ट-अप स्थापित करने के लिए सहयोग प्रदान किया जा सके।

बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, सचिव संदीप कदम और राखिल काहलों, निदेशक डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड गवर्नेंस डॉ. निपुण जिंदल, प्रबंध निदेशक हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम गंधर्व राठौर और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाषः 0177-2805015, 94180-15015 फैक्सः 2805015

क्या प्रभारी के बदलने के बाद सरकार में भी कोई बदलाव होगा

> क्या प्रभारी हाईकमान को सरकार के बारे में सही जानकारी ही नहीं दे पाये या उसकी जानकारी को गंभीरता से नहीं लिया गया?
>
> क्या सरकार के विवादित फैसलों के लिये संगठन को जिम्मेदार माना जा सकता है?

शिमला/शैल। कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला को पद से हटा दिया है। शुक्ला की जगह महाराष्ट्र की कांग्रेस नेता रजनी पाटिल को प्रभारी लगाया गया है। इस फेरबदल के बाद यह चर्चा चल पड़ी है कि प्रदेश में और क्या बदलाव आता है। इस समय हिमाचल कांग्रेस की कार्यकारिणी पिछले करीब चार माह से बर्खास्त चल रही है। केवल अध्यक्षा को ही इस बर्खास्तगी से बाहर रखा गया है। नई कार्यकारिणी के गठन के लिये कुछ पर्यवेक्षक प्रदेश में भेजे गये थे। उनकी रिपोर्ट के आधार पर अगली कार्यकारिणी का गठन किया जाना था। इन पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट क्या रही है यह तो सामने नहीं आ पाया है। लेकिन प्रभारी को पद से हटा दिया गया है। केन्द्र में कांग्रेस सत्ता में नहीं है। लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद कांग्रेस प्रदेश की चार लोकसभा सीटों में से एक भी नहीं जीत पायी है। यहां तक की सरकार होने के बावजूद राज्यसभा की सीट भी हार गयी। जबकि भाजपा सरकार के वक्त कांग्रेस मण्डी लोकसभा उपचुनाव जीत गयी थी। इस समय संयोगवश हिमाचल से न तो लोकसभा और न ही राज्यसभा में कोई सांसद है। ऐसे में हाई कमान द्वारा नियुक्त किये गये प्रभारी की अहमियत और भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि हाईकमान को प्रदेश के बारे में निष्पक्ष राय और सूचना देने का पहला स्त्रोत प्रभारी ही रह जाता है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक हो जाता है कि राजीव शुक्ला ने लोकसभा की चारों सीटें हारने और फिर राज्यसभा की सीट हारने और छः कांग्रेस विधायकों के दल बदल करने को लेकर कितनी सही और निष्पक्ष राय दी होगी। इस पर किसी राय पर पहुंचने से पहले प्रदेश सरकार और संगठन की व्यवहारिक स्थिति पर नजर डालना आवश्यक हो जाता है।

हिमाचल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह वह नेता हैं जो एन एस यू आई, युवा कांग्रेस और फिर प्रदेश कांग्रेस पाटी के अध्यक्ष रहे हैं। इन्हें अध्यक्ष पद से हटाकर कुलदीप राठौर को स्व. वीरभद्र के समय में ही अध्यक्ष बना दिया गया था। कुलदीप राठौर के समय में ही कांग्रेस ने प्रदेश की चार में से दो नगर निगम में भाजपा शासन में जीत हासिल की थी। मण्डी लोकसभा का उपचुनाव भी जयराम सरकार के समय जीता था। प्रतिभा सिंह को उम्मीदवार बनाया गया था। प्रतिभा सिंह पहले भी मण्डी से लोकसभा सांसद रह चुकी थी। स्व. वीरभद्र सिंह की राजनीतिक विरासत का विधानसभा चुनावों में लाभ लेने के लिये प्रतिभा सिंह को राठौर की जगह पार्टी अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने सामूहिक नेतृत्व में लड़ने का फैसला लिया और किसी एक को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया। परन्तु विधानसभा में कांग्रेस को बहुमत मिलने के बाद प्रदेश के नेता के चयन के लिये पर्यवेक्षकों ने सुक्खू को नेता घोषित कर दिया। सुक्खू के साथ ही मुकेश अग्निहोत्री को उपमुख्यमंत्री बना दिया गया। इस चयन की आधिकारिक सूचना राजभवन को प्रदेश अध्यक्ष द्वारा दिये जाने की बजाये पर्यवेक्षकों द्वारा दी गयी। पार्टी अध्यक्षा को मनाने के लिये पर्यवेक्षक हॉलीलाज गये और यहीं से यह सामने आ गया की पार्टी में भीतर से सबकुछ अच्छा नहीं है। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के शपथ समारोह से ही निकला गुटबाजी का सन्देश हर रोज बढ़ता ही चला गया। मंत्रिमण्डल के विस्तार से पहले ही सरकार के फैसलों ने विपक्ष को मुद्दा थमा दिया था। शपथ ग्रहण करने के बाद दूसरे ही दिन पूर्व सरकार के छः सौ फैसले पलट दिये गये। जबकि एक ही दिन में छः सौ फाईलें पढ़कर उन पर फैसला ले पाना किसी के लिये भी संभव नहीं हो सकता। परन्तु मुख्यमंत्री ने यह किया और इससे यह संदेश गया कि यह सरकार पहले ही दिन से नौकरशाहों के हाथ में खेल गयी का अनुमान लगाया जा सकता है। प्रदेश की यह स्थिति अचानक नहीं बनी है बल्कि नीयतन बनायी गयी है।

प्रदेश की स्थिति की जानकारी यदि प्रभारी समय पर हाईकमान के सामने नहीं रख पाया है तो निश्चित रूप से उसकी निष्ठाएं सन्देह के घेरे में आती हैं। यदि हाईकमान ने यह सब संज्ञान में होने के बावजूद इस पर कोई कारवाई नहीं की है तो स्पष्ट हो जाता है कि हाईकमान प्रदेश को कोई अहमियत ही नहीं देता है। यही स्थिति नये प्रभारी के लिये भी किसी परीक्षा से कम नहीं होगी। इस समय प्रदेश में ईडी, सीबीआई और आयकर दस्तक दे चुके हैं। इसका अंतिम परिणाम कब क्या सामने आता है इस पर सबकी निगाहें लगी हुई है। ऐसे में जब तक सरकार को लेकर हाईकमान कोई फैसला नहीं लेता है तब तक संगठन कुछ नहीं कर सकता।

प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के 8.75 करोड़ रुपये चारदीवारी बनाने के लिए आवंटित:सैजल

शिमला/शैल। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने कहा कि कांग्रेस सरकार कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के कई मुद्दों पर चुप है। उन्होंने कहा कि

कांग्रेस सरकार केंद्र प्रायोजित पीएम गति शक्ति योजना के धन का उपयोग करके बद्दी में एक कंपनी के लिए 8.75 करोड़ रुपये की लागत से चारदीवारी बनाने के लिए जांच के दायरे में है। सरकार को जवाब देना चाहिए कि क्या केंद्र के फंड का दुरुपयोग किया गया? निर्बाध कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए बनाई गई पीएम गति शक्ति योजना का विवादास्पद रूप से बद्दी औद्योगिक क्षेत्र में रत्ता नदी के किनारे इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड के प्लॉट के चारों ओर 2 किलोमीटर की चारदीवारी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

उद्योग विभाग हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से इस परियोजना का क्रियान्वयन कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लिए 14 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिसमें से 8.75 करोड़ रुपये नदी के किनारे दीवार बनाने के लिए आवंटित किए गए हैं। 3 करोड़ रुपये की पहली किस्त पहले ही वितरित की जा चुकी है। जनवरी 2022 में उक्त कंपनी को भूमि आवंटन किया गया था, तथा बद्दी में ऑटो पार्क स्थापित करने के लिए एक अनुकूलित पैकेज दिया गया था, जिसमें 300 नौकरियां पैदा करने का वादा किया गया था। लगभग तीन साल बाद भी, कथित तौर पर भूमि का उपयोग नहीं किया गया है, तथा कोई औद्योगिक गतिविधि शुरू नहीं हुई है।

डॉ. राजीव ने सवाल उठाया कि 'पीएम गति शक्ति के तहत मिलने वाले फंड का उद्देश्य सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का विकास करना है। किसी एक निजी फर्म को लाभ पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल करना दुरुपयोग है। इस बीच, बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण को व्यापक विकास जरूरतों के लिए मात्र 2 लाख रुपये दिए गए।

उन्होंने कांग्रेस सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा 'कांग्रेस विधानसभा के अंदर भ्रष्टाचार के लिए भाजपा को दोषी ठहराती है, लेकिन विधानसभा के बाहर संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त रहती है। यह पाखंड का एक ज्वलंत उदाहरण है। उल्लंघन और कथित पक्षपात आवंटन शर्तों के अनुसार कंपनी को 24-30 महीनों के भीतर उत्पादन शुरू करना था और उसी अवधि के भीतर प्रस्तावित 500 करोड़ रुपये में से 150 करोड़ रुपये का निवेश करना था। ये शर्तें पूरी नहीं हुई, फिर भी सरकार ने ज़मीन वापस लेने के लिए कोई कारवाई नहीं की।

उन्होंने कहा कि पीएम गति शक्ति योजना के तहत 42 करोड़ रुपये दिए गए, पालमपुर में आईटी पार्क बनाने के लिए 35 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जबकि बद्दी- बरोटीवाला-नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 7 करोड़ रुपये दिए गए। उन्होंने कहा कि हिमाचल में उद्योग विभाग सरकार के संरक्षण में बेलगाम हो गया है।